

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 51/2024 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
सरकार जरिये मीना कुमारी डेंचरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री जितेन्द्र विजय पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप विजय, निवासी- 499, गोविन्दरावजी का रास्ता चांदपोल,
जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत
जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा क्षमता (01 बीपीसी व 01
आईओसी) मय 14.200 किग्रा एलपीजी गैस, एवं 01 रेगुलेटर को राजसात
करने बाबत।

उपस्थित : पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।



निर्णय

दिनांक 22.12.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वाणिज्यिक दुरुपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ पर्व की रसोई, 2003, गोविन्दराव जी का रास्ता, प्रथम चौराहा, जयपुर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अन्जु एवं अप्रार्थी दुकान मालिक उपस्थित मिले। वक्त जांच मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.2 किग्रा एलपीजी गैस एवं 01 रेगुलेटर जब्त किए गए। मौके अनुसार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वाणिज्यिक कार्यों हेतु उपयोग में लिया जाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज, अनुज्ञा पत्र आदि पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स कविता एन्टरप्राइजेज गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रामकिशोर शर्मा को बुलाकर सिलेण्डर्स का तौल कराया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस तरह जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.200 किग्रा एलपीजी गैस 01 रेगुलेटर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलेक्टर
जयपुर



2. प्रकरण अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जल्द सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तरण के आदेश 23.09.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जल्द सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तरण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा जरिये थाना नोटिस प्राप्त किया गया, तथापि अप्रार्थी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।


3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.2 किग्रा एलपीजी गैस व 01 रेगुलेटर पाए गये है, जिनका वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को न्यून दर पर उपलब्ध कराई जाती है जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू/वाणिज्यिक सिलेण्डर का दुरुपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.200 किग्रा एलपीजी गैस व 01 रेगुलेटर को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

4. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का मतीभाति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी की ओर से जल्द गैस सिलेण्डर्स एवं अन्य सामग्री के स्वामित्व एवं अनाधिकृत तौर पर किए जा रहे वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में मौके पर कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.2 किग्रा एलपीजी गैस व 01 रेगुलेटर पाए गए है, जिससे घरेलू गैस के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का दुरुपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जल्द शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.2 किग्रा एलपीजी गैस व 01 रेगुलेटर को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जल्द 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बीपीसी व 01 आईओसी) मय 14.2 किग्रा एलपीजी गैस व 01 रेगुलेटर को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जल्द सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तरण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक





जिला कलेक्टर
जयपुर

23.09.2024 को पारित किये जा चुके हैं, तदनुसार आन्तरिक नियन्त्रण से प्राप्त शेष नियमावलीकरण
कार्यक्रम के निर्धारित मर में उभार किया कर पालना सुनिश्चित करें।

प्रमुख प्रति हस्त कायदा जिला स्वतः अधिकारी जयपुर प्रभाग को प्रेषित की जावे। पत्रावली फंखल
होकर तब तबसे से कर्य हो।

आज्ञा दिनांक 22.12.2023 को से भवजाला सुनाया गया।




(श्री. चिहतेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर